

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- पता

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- शाखा औरैया।

मनराज सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, औरैया।

जनपद न्यायालय औरैया।

जनपद न्यायालय औरैया।

- पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

राजकीय वाहन डिजायर वाहन सं०- यू०पी० 79 जी 0223
से दिनांक- 11.11.2023 को लखनऊ जाने व आने में
चली कुल 501 किमी० में 200 किमी० का लाग लेते हुए
शेष 301 किमी० का भुगतान रु 3.00 प्रति किमी० की दर
से कुल धनराशि 903/- जमा करने हेतु

- चालान की समस्त राशि

- चालान की निश्चित राशि

- लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर

0070-60-800-05

0070-60-800-05

- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य लेखा शीर्षक

0 0 7 0

6 0

लघु शीर्षक

8 0 0

उप शीर्षक

0 5

व्योरेवार शीर्षक

धनराशि अंको में

Rs. 903/-

-

Rs. 903/-

धनराशि शब्दों में-रुपये नौ सौ तीन मात्र

योग-

Rs. 903/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहितअपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, औरैया

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान संख्या


K200038

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

अंको में

दिनांक

शब्दों में रु०

प्राप्त किया
उपकोषागार/बैंक की मुहर